

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2019/

दिनांक :

विभागीय जांच प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2018/2023 दिनांक 11.07.2018 के द्वारा श्री शांतिलाल कुम्हार, वरिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द क्ती विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित रखते हुए 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2018 से सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गये थे, के विरुद्ध प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

राकेश शर्मा

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वॉल्यूम-1/2019/496

दिनांक : 15/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
3. श्री शांतिलाल कुम्हार, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

राकेश शर्मा

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर